फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

कालूराम पुत्र बनाम रामजीलाल

संख्या : 100/25

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	3/2/2026	पत्रावली प्रस्तुत। वा.प्र.उप.। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है वास्ते जवाब दिनांक 11/2/2026 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	11/02/26	पत्रावली प्रस्तुत। वा.प्र.उप.। अप्रार्थीगण के कई अवसर देने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया है अतः जवाब बंद किया जाता है। वास्ते बहस दिनांक 16/2/2026 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	16/2/2026	पत्रावली प्रस्तुत। वा.प्र.उप.। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस नहीं की। वास्ते बहस अप्रार्थी दिनांक 18/2/2026 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	(हस्ताक्षर) 16/2/25
	18/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी व उनके अधि[illegible] में भी अधिवक्ता द्वारा बहस नहीं की गई। अतः बहस का अवसर [illegible] किया जाता है। प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र गुणावगुण पर निर्णीत किया जाता है। प्रस्तुत तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं/सिद्धान्तों भलीभांति अपने पक्ष में साबित किया है अतः अस्थाई	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary

Date: 2026.04.02 14:37:54 IST

Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

बालूराम बनाम रामलाल

प्रार्थना या : 100/25

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी 1 व 2 को पाबंद किया जाता है कि वे स्वयं या अपने एजेंटों के माध्यम से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.न 558/343, 620/354, 621/354, 622/354 वाके ग्राम हादरबावड़ी के शांतिपूर्ण उपयोग-उपभोग में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे। यह आदेश मुख्य वाद के अंतिम निर्णय तक प्रभावी रहेगा। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:37:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती सुमन चौधरी आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या– 100/2025

1. बाल स्वरूप अग्रवाल पुत्र श्री मिश्री लाल अग्रवाल
2. क्षितिज अग्रवाल पुत्र श्री पुनित अग्रवाल
   समस्त जाति महाजन निवासी डी–33, शिव मन्दिर के पास, अम्बाबाडी जयपुर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र जवान सिंह
2. मंगली देवी पत्नी रामजीलाल
   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम दादरबावडी तहसील हाल जालसू जिला जयपुर।
3. पुलिस थाना कालाडेरा जरिये थाना अधिकारी कालाडेरा जिला जयपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।

.......अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 18.02.2026

हस्तगत प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है, प्रार्थी संख्या 1 राजस्व ग्राम दादरबावड़ी, तहसील जालसू की आराजी खसरा नंबर 558/343 (रकबा 9.0700 हेक्टेयर) का दर्ज खातेदार है। प्रार्थी संख्या 2 खसरा नंबर 620/354, 621/354 एवं 622/354 (कुल रकबा 0.51 हेक्टेयर) का दर्ज खातेदार है। राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी संवत 2080) प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस स्वामित्व की पुष्टि करते हैं। प्रार्थीगण ने तहसीलदार जालसू के आदेशानुसार दिनांक 23–05–2024 को सीमाज्ञान करवाया था। इसके पश्चात, उपखण्ड अधिकारी रामपुराडाबडी के आदेश (वाद संख्या 139/2024) की पालना में दिनांक 09–06–2025 को उक्त भूमि की विधिवत पत्थरगढ़ी की जा चुकी है और प्रार्थीगण ने तारबंदी कर रखी है। प्रार्थीगण का आरोप है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2, जिनका इस भूमि से कोई संबंध नहीं है, ने दिनांक 23–06–2025 को न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए तारबंदी उखाड़ दी। पुनः दिनांक 20–07–2025 को अप्रार्थीगण ने मौके पर आकर झगड़ा किया और अवैध कब्जे की नियत से प्रार्थीगण को अपनी ही भूमि पर काम करने से रोका।

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:37:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं दिनांक 28.10.2025 को न्यायालय में उपस्थित हुये। उसके बाद लगभग 19 पेशीयो के बाद भी जवाब पेश नही किया अतः दिनांक 11.02.2026 को जवाब का अवसर बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से दिनांक 29.12.2025 को वकालतनामा पेश होने के उपरान्त से लगभग 8 पेशीयो से जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 29.12.2025 को जवाब का अवसर बंद किया गया।

उसके उपरान्त पत्रावली बहस हेतू अंकित की गई। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने बहस नही की फलस्वरूप प्रार्थना पत्र गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को न्यायालय द्वारा जवाब हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए, किंतु उनकी ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और दस्तावेजों का कोई खंडन रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु तीन मूलभूत सिद्धांतों का होना आवश्यक है:

1. प्रथम दृष्टया केस (Prima Facie Case): प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2080 के अनुसार, विवादित भूमि (खसरा नंबर 558/343, 620/354, 621/354, 622/354) पर प्रार्थीगण का नाम "खातेदार" के रूप में अंकित है। राजस्थान राजस्व कानून के तहत, जमाबंदी में अंकित नाम स्वामित्व और कब्जे का प्राथमिक प्रमाण माना जाता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण ने केवल कागजी स्वामित्व ही नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी भूमि की सीमाओं का निर्धारण भी करवाया है। तहसीलदार जालसू के आदेश दिनांक 23.05.2024 के क्रम में भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है। इसके अतिरिक्त, उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी के निर्णय दिनांक 09.06.2025 को विवादित आराजी की विधिवत पत्थरगढ़ी की कार्यवाही भी की जा चुकी है। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही का रिकॉर्ड भी प्रार्थी के पक्ष में है। पत्थरगढी की कार्यवाही के पश्चात प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि पर पुख्ता तारबंदी कर रखी है और कब्जा है विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि कब्जा स्वामित्व के बराबर महत्व रखता है और प्रार्थीगण का कब्जा अधिकारिक पत्थरगढी के बाद और भी सुदृढ़ हो जाता है। इसके विपरीत, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का नाम संबंधित खसरा नंबर 354/479 में "गैर खातेदार" के रूप में अंकित है, जिसका प्रार्थी की भूमि से केवल एक कोना स्पर्श करता है। इसके अतिरिक्त यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अप्रार्थी 1 एवं 2 ने प्रार्थी के किसी भी तथ्यों का खण्डन दस्तावेजी साक्ष्य अथवा मौखिक साक्ष्य से नहीं किया है। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:37:54 IST
Reason: SelfAttested

2. सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience): चूंकि प्रार्थीगण पंजीकृत खातेदार हैं और मौके पर काबिज काश्त होकर उपयोग–उपभोग कर रहे हैं, इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि उन्हें अपनी ही खातेदारी भूमि की सुरक्षा से रोका जाता है, तो यह न्यायोचित नहीं होगा।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

3. अपूरणीय क्षति (Irreparable Loss): यदि अप्रार्थीगण को अवैध हस्तक्षेप से नहीं रोका गया, तो प्रार्थीगण की भूमि पर अवैध कब्जा होने, सीमा चिन्ह नष्ट होने और कानूनी जटिलताएं बढ़ने की पूर्ण संभावना है, जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में संभव नहीं होगी।

:: आदेश ::

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को निम्न प्रकार पाबंद किया जाता है, कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं या अपने एजेंटों के माध्यम से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि (खसरा नंबर 558/343, 620/354, 621/354, 622/354 स्थित ग्राम दादरबावड़ी) के शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, दखलंदाजी या बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थी संख्या 3 (थानाधिकारी कालाडेरा) एवं अप्रार्थी संख्या 4 (तहसीलदार जालसू) को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय के इस आदेश की पालना सुनिश्चित करें। यह आदेश मुख्य वाद के अंतिम निर्णय तक प्रभावी रहेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:37:54 IST
Reason: SelfAttested